झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, रॉची

अधिसूचना

संचिका संख्या–02.त0शि0/योजना–18/2023 (पार्ट–1)......................./ रॉची, दिनांक–..............................

राज्य सरकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए कृत संकल्पित है। राज्य सरकार द्वारा राज्य में विभागान्तर्गत पूर्व से संचालित राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के जीर्णोद्धार/विकास के साथ–साथ नये पोलिटेकनिक संस्थानों के स्थापना हेतु निर्णय लिया गया है। उक्त के क्रम में राज्य सरकार द्वारा विधान सभा के बजट सत्र वित्तीय वर्ष 2023–24 में पतरातू (रामगढ़), जमशेदपुर, नॉलेज सिटी, खूँटी, बरही (हजारीबाग), बुण्डू (रॉंची), देवघर एवं चाईबासा में राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के स्थापना हेतु घोषणा की गयी है, जिससे तकनीकी शिक्षण व्यवस्था में अपेक्षित सुधार होगा। इसी क्रम में राजकीय पोलिटेकनिक, चाकुलिया, जमशेदपुर के स्थापना की कार्रवाई की जा रही है।

02. राजकीय पोलिटेकनिक, चाकुलिया, जमशेदपुर के स्थापना के निमित उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक 1027 दिनांक 29.08.2024 के द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत चाकुलिया अंचल के मौजा–चौठिया, थाना नं0–353, खाता सं0–168, प्लॉट सं0 446 कुल रकवा–89.00 एकड़ में से 15.00 एकड़, किस्म–पु0प0का0आ0 अनाबाद झारखण्ड सरकार भूमि चिन्हित की गयी है।

03. राजकीय पोलिटेकनिक, चाकुलिया, जमशेदपुर के निर्माण हेतु प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक 14.10.2024 को सम्पन्न बैठक में सैद्धान्तिक रूप से सशर्त्त अनुशंसा प्राप्त है, जो निम्नवत् है –

"बजट के अनुरूप पुनः चरणबद्ध ढंग से निर्माण हेतु DPR तैयार कर अनुशंसा हेतु प्रस्ताव दिया जाय"।

04. विभागीय संलेख ज्ञापांक 999 दिनांक 14.10.2024 में सन्निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 14.10.2024 के मद सं0 26 के रूप में सम्मिलित करते हुए राजकीय पोलिटेकनिक, चाकुलिया, जमशेदपुर के निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलित कुल राशि रू0 134,18,27,300/– (रू0 एक सौ चौंतीस करोड़ अठारह लाख सताईस हजार तीन सौ) मात्र के योजना पर सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः राजकीय पोलिटेकनिक, चाकुलिया, जमशेदपुर हेतु झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉंची (JSBCCL) से चरणबद्ध ढंग से निर्माण हेतु संशोधित प्राक्कलन (DPR) प्राप्त कर निर्माण कार्य किये जाने के सन्दर्भ में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–02.त0शि0/योजना–18/2023 (पार्ट–1) /रॉची, दिनांक–

प्रतिलिपिः–अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0 / योजना–18 / 2023 (पार्ट–1) / राँची, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार झारखण्ड, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0 / योजना–18 / 2023 (पार्ट–1)/32/योजना / राँची, दिनांक– 14.10.2024

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / सचिव, वित्त विभाग / कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची, झारखण्ड / विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक, तकनीकी शिक्षा / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / बजट पदाधिकारी / नोडल पदाधिकारी को Upload करने हेतु / प्रभारी निर्गत शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.10.24
सरकार के प्रधान सचिव